राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1504/2023

केदारमल मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, कोऑपरेटिव सोसायटी विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, कोऑपरेटिव सोसायटी विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. रजिस्ट्रार, कोऑपरेटिव सोसायटी विभाग, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 06.06.2023
आदेश की दिनांक : 07.08.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री गजेन्द्र भुवन, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

अपीलार्थी ने अपील में यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 31.05.2023 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को संयुक्त रजिस्ट्रार के पद पर सवाई माधोपुर में निरंतर कार्य करने के आदेश फरमाए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में संयुक्त रजिस्ट्रार (प्रबंध निदेशक) के पद पर केन्द्रीय कोऑपरेटिव सहकारी बैंक लिमिटेड, सवाई माधोपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 31.05.2023 के द्वारा अपीलार्थी को सवाई माधोपुर से अग्रिम आदेशों तक की प्रतीक्षा में उपस्थिति रजिस्ट्रार सहकारी समितियां प्रधान कार्यालय, जयपुर हेतु किया गया है। उनका कथन है कि श्री मदन लाल गुर्जर को समंजित करने के आशय से अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है। अपीलार्थी को मात्र 6 माह की अल्पावधि में ही आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है, जो नियम 25ए के विपरीत है। अपीलार्थी का कार्य

हमेशा संतोषजनक रहा है। फिर भी अपीलार्थी को बिना किसी कारण के आलोच्य आदेश के द्वारा अग्रिम आदेश की प्रतीक्षा में रखा गया है, जो राजस्थान सेवा नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 31.05.2023 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को संयुक्त रजिस्ट्रार के पद पर सवाई माधोपुर में निरंतर कार्य करने के आदेश फरमाए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी के विरूद्ध काफी शिकायतें आने के उपरांत ही विभागीय आदेश दिनांक 31.05.2023 के द्वारा आदेशों की प्रतीक्षा में किया गया है। अपीलार्थी सवाई माधोपुर में पदस्थापन अवधि वर्ष 2019 से 2022 एवं 2022 से 2023 तक रही है। अपीलार्थी के विरूद्ध भ्रष्टाचार अनियमितता की कई शिकायतें विभाग को प्राप्त हो रही थीं, जिसके क्रम में अपीलार्थी को पूर्व में आदेशों की प्रतीक्षा में रखा जा चुका है और वर्तमान में अपीलार्थी के विरूद्ध अनेकों शिकायत होने के उपरांत ही अपीलार्थी को आलोच्य आदेश के द्वारा आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन वर्तमान में संयुक्त रजिस्ट्रार (प्रबंध निदेशक) के पद पर केन्द्रीय कोऑपरेटिव सहकारी बैंक लिमिटेड, सवाई माधोपुर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 31.05.2023 के द्वारा अपीलार्थी को सवाई माधोपुर से अग्रिम आदेशों तक की प्रतीक्षा में उपस्थिति रजिस्ट्रार सहकारी समितियां प्रधान कार्यालय, जयपुर हेतु किया गया है। जहां तक अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में रखे जाने का प्रश्न है, अपीलार्थी वर्ष 2019 से निरंतर एक ही स्थान पर कार्यरत है, जो 4 वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहा है। आदेश दिनांक 01.11.2021 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी के विरूद्ध शिकायतों के संबंध में विभाग को कई पत्राचार किए गए हैं एवं उक्त पत्राचार में विशिष्ठ सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय से माननीय विधायक हिण्डौन सिटी द्वारा शिकायत एवं अन्य क्षेत्रीय लोगों द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध भ्रष्टाचार व अनियमितताओं के संबंध में शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी अपने कर्तव्यों को पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से निर्वहन नहीं कर रहा है, जिसके क्रम में अपीलार्थी को सक्षम स्तर

पर जारी आलोच्य आदेश के द्वारा अग्रिम आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है, जिसमें किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन होना प्रकट नहीं होता है। अतः अपीलार्थी के इस तर्क में हम कोई बल नहीं पाते हैं। जहां तक श्री मदन लाल गुर्जर अपीलार्थी के स्थान पर समंजित किए जाने का प्रश्न है, हमारे विनम्र मत में अपीलार्थी ने अपनी अपील में ऐसे किसी कार्मिक को पक्षकार नहीं बनाया है, जिसके कारण अपीलार्थी का पदस्थापन प्रभावित हुआ हो। अतः अपीलार्थी का उक्त तर्क बलहीन है। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद् द्वारा खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य